श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास- जाखू, जिला शिमला, (हिमाचल प्रदेश) के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-01-2016 से 31-12-2017

भाग -1

1 प्रारम्भिक

(i) श्री हनुमान जी मंदिर न्यास जाखू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01-01-2016 से 31-12-2017 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण हिमाचल प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था और पूर्व विन्यास अधिनियम 1984 की धारा 23 (2)(ग)(2) तथा भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 के पत्र संख्या: भासनि -15/97-मन्दिर-3-3278 दिनांक 24.03.2005 के दृष्टिगत स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया I

(ii) अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्न अधिकारी मन्दिर न्यास के आयुक्त, सहायक आयुक्त एवं मन्दिर अधिकारी के रूप में कार्यरत रहे:-

क्रमांक	अधिकारी का नाम	अवधि
(क) आयुक्त		
1	श्री दिनेश मल्होत्रा	01.01.16 से 23.02.16 तक
2	श्री रोहन ठाकुर	24.02.16 से 31.12.17 तक
(ख)सहायक आयुक्त		
1	श्री हेमिस नेगी	01.01.16 से 21.06.17 तक
2	श्री अजीत भारद्वाज	21.06.17 से 31.12.17 तक
(ग)मन्दिर अधिकारी		
1	श्री अनिल शर्मा	01.01.16 से 22.07.16 तक
2	श्री संजीव गुप्ता	23.07.16 से 31.12.17 तक

(iii) श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास- जाखू, शिमला (हि०प्र०) के अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.01.16 से 31.12.17 तक में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार:-

क्रमांक	संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्यां	राशि (लाखों में)
1	अनुदान राशि का अवरोधन	6 (ii)	10.00

2	अस्थाई अग्रिम वसूली/समायोजन हेतु शेष	7	0.43
3	बजट का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना मन्दिर न्यास निधि से अनियमित व्यय/भुगतान	9	200.88
4	भारत संचार निगम लिमिटेड से किराये के रूप में कम वसूली करना	11	0.13
5	संविदाकारों से निर्माण कार्यों के बिलों से श्रमकर की कटौती नहीं करना	13	0.30
6	संविदाकारों से निर्माण कार्यों के बिलों से बिक्रीकर की कटौती न करने के कारण सरकारी खजाने को राजस्व की हानि	14	0.89
7	निर्माण कार्य बिलों से नियमानुसार देय प्रतिभूति की कटौती न करके संविदाकार को अनुचित लाभ पहुंचाना	15	2.01
8	स्टील का गलत factor लगाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	16	0.18

(iv) गत अंकेक्षण प्रतिवदेन

गत अंकेक्षण प्रतिवदेन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरांत नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट"क"** पर दर्शाई गई है। प्रायः यह देखने में आया है कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर मन्दिर न्यास द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ता का विषय है। अतः मन्दिर न्यास द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से यथा समय इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

भाग-दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

मन्दिर के लेखाओं अवधि 01.01.2016 से 31.12.2017 तक का वर्तमान अंकेक्षण श्री अनिल कुमार, सहायक नियंत्रक (ले0प0) तथा श्री राजीव कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 09.04.18 से 9.05.18 तक मन्दिर न्यास के जाखू स्थित कार्यालय में किया गया। आय की विस्तृत जांच हेतु माह 7/2016 , 06/2017 एवं भण्डारा से प्राप्त आय की विस्तृत जांच हेतु 05/2016,6/2017 तथा व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 01/2016,10/2017 एवं भण्डारा व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 12/2016 व 10/2017 के लेखाओं का चयन किया गया। जिसके परिणामों

को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है। अंकेक्षण के दौरान आगामी पैरों में दर्शाए गए अभिलेख के अतिरिक्त अन्य समस्त अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किए गए।

इस अंकेक्षण प्रतिवेदन को संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, उक्त संस्था द्वारा कोई सूचना उपलब्ध न करवाने अथवा गलत सूचना उपलब्ध करवाने पर पाई गई अनियमितताओं एवं त्रुटियों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग का उतरदायित्व केवल चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क

मन्दिर के अवधि 01.01.2016 से 31.12.2017 तक के लेखाओं के वर्तमान अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹36400 बनता है। मन्दिर न्यास को सहायक नियंत्रक (लेखा परीक्षा) की अधियाचना संख्या 1 दिनांक 09.05.18 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को रेखाकिंत बैंक ड्राफट द्वारा भेजने का अनुरोध किया गया जिसके प्रत्युतर में मंदिर न्यास द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को बैंक आफ इंडिया, शिमला के रेखाकिंत चैक संख्या:043406 दिनांक 29-05-18 द्वारा प्रेषित कर दिया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

(i) मन्दिर न्यास द्वारा परिशिष्ट "ख" पर अंकेक्षण को प्रदान की गई सूचना के अनुसार मन्दिर के लेखाओं की अवधि 01.01.2016 से 31.12.2017 तक की वितीय स्थिति निम्नानुसार थीः-

वित्तीय वर्ष	लेखा शीर्ष	आरम्भिक शेष (₹) में	आय/प्राप्तियां (₹) में	ब्याज	कुल योग (₹) में	व्यय (₹) में	अंतिम शेष (₹) में
2016	Main	12480468.43	8151192.56	993645.79	21625306.78	8231081.51	13394225.27
	Langar	971778.00	769154.00	37841.00	1778773.00	864222.00	914551.00
	Grant	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	2000000.00
	कुल जोड़	13452246.43	10920346.56	1031486.79	25404079.78	9095303.51	16308776.27
2017	Main	13394225.27	8005496.21	972181. 08	22371902.56	7663810.72	14708091.84
	Langar	914551.00	894668.00	21701.00	1830920.00	1329192.00	501728.00
	Grant	2000000.00	0.00	0.00	2000000.00	2000000.00	0.00
	कुल जोड़	16308776.27	8900164.21	993882.08	26202822.56	10993002.72	15209819.84

(ii) दिनांक 31-12-2017 को बैंक समाधान विवरणी

(क) दिनांक 31.12.17 को अन्तः शेष का विवरण				
क्रम संख्या	विवरण	रोकड़ बही अनुसार	बैंक पास बुक अनुसार	अंतर
1	SBI , Branch Ganj Shimla A/C No. 32244415308	6274293.79	6286802.79	(-)12509.00
2	ICICI Bank, Branch Shimla A/C No. 635301009043	501728.00	501728.00	0.00
3	FDR"s No.770103311003060 of Vijay Bank	1525457.00	1525457.00	0.00
4	HDFC Branch, SanjauliI, Shimla A/C NO. 034611450000179	123564.56	123564.46	0.00
5.	YES BANK Branch Timber House,Shimla A/C No. 009194600000299	6784776.59	6784776.59	0.00
	कुल जोड़	15209819.84	15222328.84	(-)12509.00
BALANCE AS PER FINANCIAL POSTION AS ON 31.12.17		15209819.84	15209819.84	
अंतर		0.00	12509.00	(-)12509.00
(ख)अंतर का कारण दिनांक 31.12.17 को रोकड़ बही अनुसार अन्तः शेष				15209819.84

ADDCheques issued but not presented for Payment till 31.12.17					
बैंक का नाम	चैक संख्या	दिनांक	राशी		
SBI - Shimla	999725	19.12.17	8030		
	999726	19.12.17	2490		
	999728	19.12.17	2090		
योग			12610		12610.00
LESS:- As per secrutiny of the cash book it has been noticed that the amount of Rs. 101/- excess taken in the cash book as per detail as under:- as per SBI S/B a/c no. 32244415308:- Donation received on 8-08-17 =132 donation entered in the cash book page 85 on 8-08-17=233 excess shown in cash book =101					101.00
दिनांक 31.12.17 को बैंक पास बुक अनुसार अन्तः शेष					15222328.84

₹101 जो कि मंदिर न्यास की रोकड़ बही के पृष्ट 85 दिनाक 8-08-17 को अधिक ली गई थी उसको दिनाक 31-01-18 के अंत शेष से कम कर के रोकड़ बही के बकाया को ठीक कर दिया गया है| अतः भबिष्य मे रोकड़ बही का रख–रखाव उचित प्रकार से किया जाए।

5 निवेश

मन्दिर न्यास द्वारा सावधिक जमा योजनाओं में निवेशित ₹1525457 का विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट "ग"** में दिया गया है।

6 अनुदान

(i) श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास को अवधि 0 1/2016 से 12/2017 तक के दौरान प्राप्त अनुदान का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-"घ"** में दिया गया है।

(ii) अनुदान ₹1000000 का उपयोग न करना

आयुक्त, पर्यटन विभाग हिमाचल प्रदेश से पत्र स. 4-17/97-TSM-XXX111-13322 D 27/02/16 के द्वारा जाखू मन्दिर के मुख्य द्वार के निर्माण के लिए ₹1000000 प्राप्त हुये थे परन्तु इस अनुदान को मंदिर न्यास द्वारा अभी तक खर्च नही किया गया था | अतः परामर्श दिया जाता कि इस अनुदान को मंदिर न्यास शीघ्र उसी उदेश्य पर खर्च करे जिस उदेश्य के लियें प्राप्त हुआ था और इस अनुदान का उपयोगिता प्रमाण पत्र पर्यटन विभाग, हिमाचल प्रदेश को शीघ्र भेजना सुनिश्चित किया जायें|

7 अस्थाई अग्रिम ₹0.43 लाख समायोजन/वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को प्रस्तुत अस्थाई अग्रिम रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31.12.17 को निम्न विवरण अनुसार के ₹**43000** के अस्थाई/स्टाफ अग्रिम वसूली/समायोजन हेतु शेष थे जिनकी वसूली/समायोजन समयानुसार सुनिश्चित करते हुए कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

क्रम संख्या	**प्राप्तकर्ता का विवरण**	**राशि (₹)**
1	श्री राम लाल, माली	43000.00
	कुल योग	**43000.00**

8 सोना –चांदी लेखों के अनुसार स्टॉक की स्थिति व् उनमें पाई गई अनियमितताएं

(i) श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास-जाखू, शिमला के सोना –चांदी के भण्डार रजिस्टर के अनुसार अवधि 01.01.16 से 31.12.17 तक सोने के स्टॉक की वर्षवार स्थिति **(परिशिष्ट "ङ")** के अनुसार निम्न प्रकार से थीः–

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (ग्राम में)**	**प्राप्त सोने की मात्रा (ग्राम में)**	**अन्यत्र प्रयुक्त /बाँड इत्यादि में निवेश की मात्रा(ग्राममें)**	**अंतिम शेष (ग्राम में)**
2016	**357.341**	1.078	nil	358.419
2017	358.419	nil	nil	358.419

(क) जिला कोषागार, शिमला में जमा सोना *****324.341 ग्राम

(**ख)** प्रबन्धक, मन्दिर न्यास के पास जमा सोना 034.078 ग्राम

अंतिम शेष का कुल योग **358.419 ग्राम**

***नोट:-**गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 8 (क) के अनुसार न्यास द्वारा दिनांक 22.07.04 से पूर्व सोने-चांदी से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था तथा मन्दिर अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा इस तिथि को मन्दिर में उपलब्ध सोने –चांदी के वजन का भौतिक सत्यापन करते हुए सोना 203.200 ग्राम व चांदी 3.753.800 कि०ग्रा० पाया और इस शेष को जिला कोषागार में जमा दर्शाने के साथ-साथ वर्ष 2004 का आरम्भिक शेष मानकर सोना-चांदी के स्टॉक में भी जमा करके दर्ज किया गया है। अतः दिनांक 22.07.04 से पूर्व सोने-चांदी के स्टॉक से सम्बन्धित वस्तु स्थिति वास्तविक अभिलेख के अनुसार अंकेक्षण को स्पष्ट की जाए I

(**ii) हि० प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवम विन्यास अधिनियम,1984 की धारा 12-ए (2) के प्रावधानों को लागू न करना**

हि० प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम,1984 की धारा 12-A (2)(A)(ii) के प्रावधानानुसार 20% सोना भारतीय स्टेट बैंक की गोल्ड बांड स्कीम में निवेश करना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख व् सूचना के अवलोकन से विदित है कि इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था जिसके कारण जहाँ न्यास को इन प्रावधानों को लागू करने से होने वाली अतिरिक्त आय से भी एक दशक से भी ज्यादा समय से वंचित होना पड़ रहा है जोकि एक गंभीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाये I

(**iii)** श्री हनुमान जी मन्दिर न्यास-जाखू, शिमला के सोना–चांदी के भण्डार रजिस्टर के अनुसार अवधि 01.01.16 से 31.12.17 तक चांदी के स्टॉक की वर्षवार स्थिति **(परिशिष्ट "ङ")** के अनुसार निम्न प्रकार से थी

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (कि०ग्रा०)**	**प्राप्त चांदी की मात्रा(कि०ग्रा०)**	**अन्यत्र प्रयुक्त /बाँड इत्यादि में निवेश की मात्रा (कि०ग्रा०)**	**अंतिम शेष (कि०ग्रा०)**
2016	48-434-800	1-856-000	nil	50-290-800
2017	50-290-800	5-189-000	nil	55-479-800

(क)जिला कोषागार, शिमला में जमा चांदी 18-719-800 **कि०ग्रा०**

(ख)प्रबन्धक, मन्दिर न्यास के पास जमा चांदी 36-760-000 **कि०ग्रा०**

अंतिम शेष का कुल योग 55-479-800 कि०ग्रा०

***नोट:-**गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 8 (क) के अनुसार न्यास द्वारा दिनांक 22.07.04 से पूर्व सोने-चांदी से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था तथा मन्दिर अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा इस तिथि को मन्दिर में उपलब्ध सोने–चांदी के वजन का भौतिक सत्यापन करते हुए सोना 203.200 ग्राम व चांदी 3.753.800 कि०ग्रा० पाया और इस शेष को जिला कोषागार में जमा दर्शाने के साथ-साथ वर्ष 2004 का आरम्भिक शेष मानकर सोना-चांदी के स्टॉक में जमा करके दर्ज किया गया है। अतः दिनांक 22.07.04 से पूर्व सोने-चांदी के स्टॉक से सम्बन्धित वस्तु स्थिति वास्तविक अभिलेख के अनुसार अंकेक्षण को स्पष्ट की जाए।

(iv) हि० प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम,1984 की एक्ट की धारा के प्रावधानों को लागू न करना

हि० प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम,1984 की धारा 12-ए (2)(B)(iii) के प्रावधानानुसार 60% चांदी को सिक्के में ढाल कर श्रद्धालुओं को वर्तमान मूल्य पर विक्रय किया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत इन प्रावधानों को अमल में नहीं लाया गया था जिसके कारण न्यास को इन प्रावधानों को लागू करने से होने वाली अतिरिक्त आय से एक दशक से भी ज्यादा समय से वंचित होना पड़ रहा है जोकि एक गंभीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए उक्त प्रावधानों को अविलम्ब लागू किया जाना सुनिश्चित किया जाये I

9 बजट का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाए बिना ₹200.88 लाख का मन्दिर न्यास निधि से अनियमित व्यय/भुगतान

हि० प्र० हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थान एवं विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 22 के प्रावधानानुसार मन्दिर न्यास का वार्षिक बजट आयुक्त एवं प्रबंधकीय समिति से अनुमोदित होना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार वार्षिक बजट न तो तैयार किया गया था और न ही आयुक्त एवम प्रबंधकीय समिति से अनुमोदित करवाया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है। इस प्रकार अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नानुसार ₹200.88 लाख का व्यय बिना सक्षम प्राधिकारी के प्राधिकार व् बजट अनुमोदन से किया गया जोकि गंभीर वित्तीय अनियमितता है जिसे अब सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाकर भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु ठोस कार्रवाई करना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये :-

वर्ष	वित्तीय स्थिति अनुसार कुल व्यय (में)
2016	**9095303.51**
2017	**10993002.72**
कुल जोड़	**20088306.23**

10 रसीद बुक्स का उपयोग क्रम बार न करके उसके स्थान पर अन्य नंबर कि रसीद बुक का उपयोग करने बारे

अंकेक्षणाधीन अवधि में मंदिर न्यास को प्राप्त आय मे उपयोग रसीदों से संबधित अभिलेख का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार रसीदो का उपयोग क्रमबार न करके अन्य नम्बर की रसीद बुक्स का उपयोग किया गया था जो कि एक गंभीर अनियमितता है जिस बारे से स्थिति सपष्ट कि जाये और भविष्य मे दान प्राप्त के लिये रसीदों का उपयोग क्रमबार किया जाना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

रसीद संख्या	उपयोग करने की दिनांक
51/- per receipt	
01 to 100	**09-05-16**
101 to 200	**30-06-16**
201 to 300	**27-10-16**
301 to 400	**31-05-17**
401 to 500	**21-06-17**
601 to 700	**04-06-17**
701 to 800	**11-06-17**
501 to600	**16-06-17**
801 to 900	**21-06-17**
901 to 1000	**25-06-17**
1001 to 1100	**15-06-17**
1101 to 1200	**14-06-17**
1201 to 1300	**21-06-17**
1301 to 1400	**25-06-17**
1401 to 1500	**26-06-17**
Rs. 100/- per receipt	
01 to 100	**12-07-15**
101 to 200	**10-02-15**

201 to 300	**08-01-16**
301 to400	**20-01-16**
401 to 500	**30-04-16**
501 to 600	**26-06-16**
601 to 700	**26-06-16**
701 to 800	**25-06-16**
801 to 900	**23-10-16**
901 to 1000	**25-10-16**
1001 to 1100	**21-05-17**
1101 to 1200	**29-10-16**
1201 to 1300	**11-02-17**
1301 to 1400	**28-06-16**
1401 to 1500	**29-04-16**
Rs. 500/- per receipt	
01 to 100	**7-07-15**
101 to 200	**8-01-16**
201 to 300	**4-04-16**
301 to400	**09-11-16**
401 to 500	**01-07-17**
501 to 600	**21-05-17**
601 to 700	**30-03-18**
701 to 800	**22-06-16**

11 भारत संचार निगम लिमिटेड से किराये के रूप में ₹0.13 लाख की कम वसूली करना

श्री हनुमान जी मंदिर न्यास जाखू व भारत संचार निगम लिमिटेड के बीच मंदिर परिसर में मोबाइल टावर स्थापित करने हेतु दिनांक 23.11.2010 को 15 वर्ष की अवधि के लिए हुए लीज अनुबंध की शर्त संख्या: 3 के अनुसार किराए पर दिये गए कमरे/premises का किराया ₹5,000 प्रति माह निर्धारित हुआ था तथा जिसे 15% की दर से प्रत्येक तीन वर्ष बाद बढ़ाया जाना था। इस प्रकार दिनांक 23.11.13 से उक्त कमरे/premises का किराया ₹5750 प्रति माह लिया जाना अपेक्षित था किन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्णित किराया वृद्धि दिनांक 23.11.13 की अपेक्षा दिनांक 23.07.14 से लागू की गई जिस अनियमितता के कारण अवधि 23.11.13 से 22.7.14 तक निम्न विवरण अनुसार ₹6,000 के किराये की कम प्राप्ति/वसूली हुई थी इसी प्रकार अंकेक्षण अबधि के दौरान किराया से सम्बन्धित अभिलेख की

जाँच करने पर पाया गया कि उक्त वर्णित शर्त के अनुसार दिनाक 23-11-16 से किराये की 15% बढ़ोतरी की जानी अपेक्षित थी जबकि वर्णित किराया वृद्धि दिनांक 23.11.16 की अपेक्षा दिनांक 23.07.17 से लागू की गई जिस के कारण अवधि 23.11.16 से 22.7.17 तक निम्न विवरण अनुसार ₹6904/- के किराये की कम प्राप्ति/वसूली हुई थी। अतः उपरोक्त वर्णित अनियमितता का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करने के अतिरिक्त भविष्य में निश्चित समयानुसार किराये की वृद्धि करके किराया वसूल किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए|

अवधि	**देय किराया प्रति माह (₹)**	**प्राप्त किराया प्रति माह (₹)**	**अन्तर (₹)**	**कम वसूल/प्राप्त किराये (₹)**
23.11.13 से 22.7.14 तक = 8 माह	5750	5000	750	6000
23-11-16 से 22-07-17 तक =8 माह	6613	5750	863	6904
			कुल बसूली	12904/-

12 औपचारिकताओं एवं विहित प्रक्रिया पूर्ण किए बिना निर्माण कार्यों का निष्पादन किए जाने सम्बन्धी अनियमितताएं

चयनित मासों के व् विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित निर्माण कार्यो से सम्बन्धित भुगतान बिलों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निर्माण कार्यों के आंबटन से पूर्व व् पूर्ण होने तक नियमानुसार कई आवश्यक औपचारिकताएं तथा विहित प्रक्रियाए पूर्ण नहीं की की गई थी जैसे कि:-

(i) नियमानुसार टेंडर प्रक्रिया अपनाने की अपेक्षा निविदा आमंत्रण सूचना कार्यालय सूचना पट पर लगाकर ठेकेदारों से निविदायें आमत्रित की गयी थी जबकि नियमानुसार प्रेस विज्ञप्ति द्वारा निविदाएँ आमंत्रित की जानी अपेक्षित थी। जिसके फलस्वरूप एक तो बाज़ार प्रतिस्पर्धा का लाभ से बंचित रहना पड़ा और टेंडर सेल करने पर जो आय प्राप्त होनी थी उससे न्यास को वित्तीय हानि हुई|

(ii) नियमानुसार ठेकेदारों से निविदाओं के साथ अर्नेस्ट मनी जमा प्राप्त नही की गई थी।

(iii) निर्माण कार्यों के डिजायन, ड्राईंग, जोईनरी डिटेल्स, निर्माण कार्य व् मदों के विभागीय औचित्य तैयार नहीं किए गये थे।

(iv) सक्षम प्राधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी।

(v) कार्य आबंटन पत्र/अनुबंध में कार्य के निष्पादन से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पूर्ण उल्लेख नहीं किया गया था।

(vi) माप पुस्तिकाओं का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था बल्कि सहायक अभियंता द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य की केवल Assessment Sheet तैयार करके ठेकेदार को भुगतान किया जा रहा था।

(vii) Assessment Sheet में निष्पादित कार्यमद के परिमाप के विरुद्ध विस्तृत विवरण नहीं दिया गया था।

(viii) निर्माण कार्य रजिस्टर तथा कांट्रेक्टर लेजर का नियमानुसार अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।

(ix) नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निष्पादित निर्माण कार्य में कोई टैस्ट चैक नहीं किया गया था।

(x) ठेकेदार के बिलों से वैधानिक कटौतियां नहीं की गयी थी जैसे प्रतिभूति, बिक्रीकर, श्रम उपकर इत्यादि।

(xi) अतिरिक्त मदों की दर विश्लेषण व् अनुमोदन की सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति के बिना ही ठेकेदार को भुगतान किया गया था।

(xii) निष्पादित निर्माण कार्य की विचलन विवरणी तैयार/अनुमोदित नहीं की गयी थी।

(xiii) निर्माण कार्य की समाप्ति पर नियमानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र भी नहीं दिए गये थेI

अतः नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताओं तथा विहित प्रक्रिया को पूर्ण किये बिना ही कार्य करवाना तथा ठेकेदार के बिलों से वैधानिक कटौतियां न करना एक गम्भीर अनियमितता है जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इन अनियमितताओं को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में सम्बन्धित अभिलेख/विवरण का अनुरक्षण करने के अतिरिक्त इन अनियमितताओं की पुनरावृति पर अंकुश लगाया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

13 निर्माण कार्य बिलों से श्रम उपकर (Labour cess) ₹0.30 लाख की वसूली न करना

चयनित माह व् विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित निर्माण कार्यों के बिलों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि न्यास द्वारा

ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से निम्न विवरणानुसार ₹**29730** श्रमकर की कटौती नहीं की गई थी जबकि श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या: 1-2000(Lab Lab)BCWA-BCWA-दिनांक 30.1.2009 के अनुसार कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत भाग इस कटौती के रूप में ठेकेदारों से वसूल किया जाना व तदोपरांत हिमाचल प्रदेश भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड में जमा करवाया जाना अपेक्षित था:-

क्रमांक	**माप पुस्तिका / वाउचर का विवरण**	**ठेकेदार एवम कार्य का नाम**	**कुल निष्पादित कार्य/ भुगतान (₹₹)**	**1% की दर से श्रम उपकर की वसूली न करना (₹)**
1	Assessment Sheet no. 345/322 dt.13-04-16(2nd & final bill)cash book Page no.105	Sh.Krishan chand C/0 Bye pass road jakhu parking to Sanjuli via jakhu jungle Shimla (Sh:-Providing railing in the road	977000	9770
2	Assessment Sheet no. 43/320 dt.13-04-16(2nd & final bill)cash book Page no.127	Sh.Santosh Jiwan Sharma C/0 Bye pass road jakhu parking to Sanjuli via jakhu jungle Shimla (Sh:-Providing railing in the carriage way of road	996000	9960
3	Assessment Sheet no. 344/321 dt.13-04-16(2nd & final bill)cash book Page no.147	Sh.Dig Vijay Singh Thakur C/0 Bye pass road jakhu parking to Sanjuli via jakhu jungle Shimla (Sh:-Providing edeging wall in the road)	1000000	10000
			कुल जोड़	**29730**

अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुए अब श्रम उपकर की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली करते हुए वर्णित बोर्ड में जमा करवाया जाने के अतिरिक्त भविष्य में

नियमानुसार ठेकेदारों से श्रम उपकर की कटौती व् जमा सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए I

14 निर्माण कार्यों के बिलों से ₹0.89 लाख के बिक्रीकर की कटौती न करने के कारण सरकारी खजाने को राजस्व की हानि

चयनित माह व् विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित निर्माण कार्यों के बिलों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि न्यास द्वारा ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान से निम्न विवरणानुसार **₹89190** के बिक्रीकर की कटौती नहीं की गई थी जबकि नियमानुसार कुल निर्माण लागत का तीन प्रतिशत भाग इस कटौती के रूप में ठेकेदारों से वसूल किया जाना व तदोपरांत सरकार के कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था:-

क्रमांक	माप पुस्तिका /वाउचर का विवरण	ठेकेदार एवम कार्य का नाम	कुल निष्पादित कार्य/भुगतान की राशि(₹)	3% की दर से बिक्रीकर की देय (₹) में
1	Assessment Sheet no. 345/322 dt.13-04-16(2nd & final bill)cash book Page no.105	Sh.Krishan chand C/0 Bye pass road jakhu parking to Sanjuli via jakhu jungle Shimla (Sh:- Providing railing in the road	977000	29310
2	Assessment Sheet no. 43/320 dt.13-04-16(2nd & final bill)cash book Page no.127	Sh.Santosh Jiwan Sharma C/0 Bye pass road jakhu parking to Sanjuli via jakhu jungle Shimla (Sh:- Providing railing in the carriage way of road	996000	29880
3	Assessment Sheet no. 344/321 dt.13-04-16(2nd & final bill)cash book Page no.147	Sh.Dig Vijay Singh Thakur C/0 Bye pass road jakhu parking to Sanjuli via jakhu jungle Shimla (Sh:- Providing edeging wall in the road)	1000000	30000
		कुल जोड़		**89190**

अतः इस अनियमितता के कारण सरकारी खजाने को राजस्व `89190 की हानि हुई है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा बिक्रीकर की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली करके सरकारी कोष में जमा करवाया जाने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार ठेकेदारों से बिक्रीकर की कटौती व् सरकार के कोष में जमा भी सुनिश्चित किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

15 निर्माण कार्य बिलों से नियमानुसार देय प्रतिभूति की कटौती न करके संविदाकार को ₹2.01 लाख का अनुचित लाभ पहुंचाना

चयनित माह व् विस्तृत अंकेक्षण हेतु चयनित निर्माण कार्यों के बिलों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि न्यास द्वारा ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से निम्न विवरणानुसार प्रतिभूति राशी की नियमानुसार कटौती न कर के सीधे भुगतान किया गया था जबकि नियमानुसार ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान से निम्नलिखित दर से प्रतिभूति राशी की कटौती करके भुगतान किया जाना अपेक्षित था:-

Up to Rs. 200000/- @10% i.e Rs. 20000/-
200001 to 500000/- @ 7.5% i.e Rs.22500/-
Above 500000/- @ 5%

यद्यपि यह प्रतिभूति राशी ठेकेदारों को उनके द्वारा किये निर्माण कार्य के पूर्ण होने के 6 माह पश्चात् बापिस की जानी अपेक्षित थी| परन्तु यदि 6 माह के अन्दर किये गये निर्माण कार्य के अन्दर कोई कमी पाई जाती है तो उस सूरत में निर्माण कार्य की कमी को ठीक करने में जो लागत आती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार के बिल से काटी प्रतिभूति राशी से करने का प्राबधान है जबकि मंदिर न्यास ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से प्रतिभूति राशी की कटौती किए बिना बिलों का भुगतान किया जो कि नियमानुसार अनियमित था जिसके बारे स्थिति स्पष्ट की जाये और भविष्य मे ठेकेदारों के निर्माण कार्यों के बिलों से प्रतिभूति राशी की कटौती करके ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये |

क्रमांक	माप पुस्तिका /वाउचर का विवरण	ठेकेदार एवम कार्य का नाम	कुल निष्पादित कार्य/भुगतान की राशि(₹)	प्रतिभूति राशी की

				कटोती
1	Assessment Sheet no. 345/322 dt.13-04-16(2nd & final bill)cash book Page no.105	Sh.Krishan chand C/0 Bye pass road jakhu parking to Sanjuli via jakhu jungle Shimla (Sh:- Providing railing in the road	977000	66350
2	Assessment Sheet no. 43/320 dt.13-04-16(2nd & final bill)cash book Page no.127	Sh.Santosh Jiwan Sharma C/0 Bye pass road jakhu parking to Sanjuli via jakhu jungle Shimla (Sh:- Providing railing in the carriage way of road	996000	67300
3	Assessment Sheet no. 344/321 dt.13-04-16(2nd & final bill)cash book Page no.147	Sh.Dig Vijay Singh Thakur C/0 Bye pass road jakhu parking to Sanjuli via jakhu jungle Shimla (Sh:- Providing edeging wall in the road)	1000000	67500
कुल जोड़				**201150**

16 **कार्य का नाम:** C/O Bye pass Road Jakhu parking to Sanjauli Road via Jakhu Jungle, Shimla (SH:-Providing railing in the road)

संविदाकार **का नाम:** Sh.Krishan Chand

चलत बिल संख्या :- 1st to 2nd & Final

माप पुस्तिका संख्या: Assessment Sheet no. 345/322 dt.13.04.16, (cash book Page no.175 dt. 27-01-16)

स्टील का गलत Factor लगाने के कारण संविदाकार को ₹0.18 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त वर्णित निर्माण कार्य का उपलब्ध करवाए गए संबंधित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि यह कार्य ठेकेदार को आबंटन पत्र संख्या: SML-SDM(U) Works(Temple) 2015-1309-10 दिनांक 23-2-15 द्वारा कुल ₹974808/- में आबंटित किया गया था जिसके अनुसार ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु प्रस्तुत संशोधित/negotiated दरों (970844) जोकि 33.96% above Rs.727632 की दरों (970844-727631.96/727631.96x100) पर कार्य करना अनुबंधित हुआ था इस निर्माण कार्य से संबंधित अभिलेखो की जाँच करने पर पाया गया कि मद "Steel work welded in built up section including cutting,hoisting,fixing in position & applying a primary coat of red lead paint in gratings,framed guards,bars,ladders,railing,brackets and similar works" ISMC100 की गणना मे गलत factor लगाने के कारण निम्नविवरणानुसार ₹18284.08 का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है| जिसे न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इसकी सम्बन्धित से वसूली की जाए तदानुसार अनुपालना को अवगत किया जाएः–

जितनी गणना ली गई	जो factor लगाया	जितनी weight स्टील का बनया	जितना factor लगना था	जितने weight actual मे बनता था	अधिक weight जिस पर भुगतान किया	दर per kg	अधिक भुगतान
199x1.5x1=298.50	9.6	2865.60kg	9.2	2746.20	119.14	92	10960.88
199x0.50x2=199.00	9.6	1910.40	9.2	1830.80	79.6	92	7323.20
TOTAL EXCESS PAYMENT							18284.08

17 भण्डारा सामग्री के क्रय में ₹1360 का अधिक भुगतान

मंदिर न्यास जाखू द्वारा भंडारा के आयोजन के लिये मेसर्स भगवान जनरल स्टोर से बिल संख्या 4108 दिनाक 4-10-17 द्वारा ₹27608 के राशन की खरीद की| इस भुगतान से सम्बन्धित बिल की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि इस बिल का कुल योग ₹27308 बनता था जबकि मंदिर न्यास द्वारा फर्म द्वारा मंदिर न्यास को दिये बिल के आधार पर ही ₹27608/- का भुगतान कर दिया जिसके फलस्वरूप ₹300/- का अधिक भुगतान किया गया अंकेक्षण द्वारा इस आपति को अवगत करवाने के उपरान्त मंदिर न्यास ने इस किये किए अधिक भुगतान की बसूली सम्बंधित फर्म से करके दिनाक 13-04-18 को आईसीआईसीआई बैंक खाता संख्या 635301009043 में जमा कर दी गई | अतः भविष्य मे इस प्रकार की त्रुटि पर अंकुश लगाया जाये|

(ii) इसी प्रकार मंदिर न्यास जाखू द्वारा भंडारा के आयोजन के लिये मेसर्स भगवान जनरल स्टोर से बिल संख्या 3461 दिनाक 3-12-16 द्वारा राशन की खरीद ₹17300/- का भुगतान करके की| इस भुगतान से सम्बंदित बिल की जाँच पड़ताल करने पर पाया गया कि इस बिल का कुल योग ₹17240/- बनता था जबकि मंदिर न्यास द्वारा फर्म द्वारा मंदिर न्यास को दिये बिल के आधार पर ही ₹17300/- का भुगतान कर दिया जिसके फलस्वरूप ₹60/- का अधिक भुगतान किया अंकेक्षण

द्वारा मंदिर न्यास को इस आपति को अवगत कराने पर मंदिर न्यास ने इस किये अधिक भुगतान की बसूली सम्बंधित फर्म से करके दिनाक 13-04-18 को आईसीआईसीआई बैंक खाता संख्या 635301009043 को जमा कर दिये|

(iii) मंदिर न्यास जाखू द्वारा मंदिर परिसर मे रंग रोगन करने के रंग की आपूर्ति मेसर्स कृष्णा लोहा भण्डार, शिमला से बिल संख्या 12395 दिनाक 3-12-15 द्वारा RED OXIDE की खरीद 137.50 प्रति लीटर की दर से 8 लीटर के लिए ₹1100/- का भुगतान किया जबकि फर्म द्वारा मंदिर न्यास मे जमा निबिदा मे इस मद की दर ₹70प्रति लीटर दी थी अतः इस प्रकार मंदिर न्यास ₹540 (8x67.50) का अधिक भुगतान किया जिसकी वसूली से करके मंदिर न्यास मे जमा की जाये तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अबगत करवाया जाये |

(iv) मंदिर न्यास जाखू द्वारा मंदिर परिसर की मुरम्मत करने के लिये elbow की आपूर्ति मेसर्स कृष्णा लोहा भण्डार, शिमला से बिल संख्या 12066 दिनाक 27-10-15 मे से की| बिल की जाँच पड़ताल के दौरान पाया गया कि 4 no. elbow की खरीद ₹175/- प्रति elbow की दर से ₹700/- का भुगतान किया जबकि सम्बन्धित फर्म द्वारा इस मद की आपूर्ति के लिए ₹60 प्रति elbow दी गई थी अतः इस प्रकार इस मद के लिए ₹460/- (4x115) का अधिक भुगतान किया जिसकी वसूली सम्बन्धित से करके मंदिर न्यास मे जमा की जाये तदानुसार अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अबगत करवाया जाये |

18 दान में प्राप्त मदों की प्राप्ति रसीदें जारी न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि न्यास द्वारा दान में प्राप्त मदों की प्राप्ति रसीदें जारी नहीं की जा रही थी बल्कि वर्णित मदों को सीधे स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा हैI दान में प्राप्त मदों की प्राप्ति रसीदें जारी न करना एक गंभीर अनियमितता है और रसीदों के बिना स्टॉक रजिस्टर में दर्ज प्राप्त मदों की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकी। यह अनियमितता गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या:31 द्वारा भी उल्लेखित की गयी थी किन्तु इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अम्ल में न लाना एक गंभीर चिंता का विषय है I अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई अविलंब सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

19 भण्डार का वार्षिक भौतिक सत्यापन (Annual physical verification) न करना

अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध भण्डार रजिस्टरों एवम सम्बन्धित सूचना के अवलोकन करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष के अंत में भण्डार में शेष मदों /चल सम्पति का सक्षम प्राधिकारी द्वारा वार्षिक भौतिक सत्यापन (Annual physical verification) नहीं किया जा रहा था जोकि एक गम्भीर अनियमितता है क्योंकि वर्णित सत्यापन न करने के परिणाम स्वरूप भण्डार में शेष कीमती मदों के दुरूपयोग होने की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त स्टॉक रजिस्टर में दर्ज प्राप्ति /खपत की अधिकतम प्रविष्टियां भी सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी। पूर्व अंकेक्षण अवधि 01/2013 से 12/2015 के पैरा संख्या 33 द्वारा भी उक्त अनियमितता के समाधान बारे परामर्श दिया गया था परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सम्बन्धित प्राधिकारियों द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्यवही अमल नहीं लाई गई। ऐसी स्थिति में यह प्रकरण मुख्य आयुक्त मन्दिर के ध्यान में हि०प्र० सरकार के पत्र संख्या: फिन

(एल० ए०) सी (15)(14)88/84 खंड-2,दिनांक 17.09.2008 के अनुसार वार्षिक भौतिक सत्यापन(Annual physical verification) सुनिश्चित करवाने हेतु लाया जाता है।

20 अन्य अनियमितताएं

चयनित माह के व्यय एवम भुगतान वाउचरों तथा स्टोर व् स्टॉक के लेखों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित विविध अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

(**क)** स्थापना चैक रजिस्टर (ECR) का रख-रखाव नहीं किया गया था जिसका रख-रखाव सुनिश्चित किया जाये।

(**ख)** न्यास द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि में वार्षिक बजट न तो तैयार किया गया था और न ही सक्षम अधिकारी से अनुमोदित करवाया गया जोकि गंभीर अनियमितता है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी इस अनियमितता बारे उल्लेख करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई अमल में न लाना एक गंभीर चिंता का विषय है। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(**ग)** न्यास द्वारा अचल सम्पति के रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था जबकि नियमानुसार इसका रख-रखाव किया जाना आवश्यक है वर्णित अभिलेख के अभाव में अचल सम्पति की वास्तविक स्थिति अंकेक्षण में स्पष्ट न हो सकी I अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित करते हुए अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

(**घ)** कर्मचारियों के सेवा अभिलेख का नियमानुसार अपेक्षित अनुरक्षण न करना I

21 लघु आपत्ति विवरणिका:-सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी I

22 निष्कर्ष:- लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय-2 पर अध्यतन (Updation) एवम पूर्ण करने व गत अंकेक्षण पैरों पर ठोस तथा तुरंत कार्रवाई करने की नितांत आवश्यकता है ताकि मन्दिर निधि का नियमानुसार सही उपयोग सुनिश्चित हो सके I

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.श
फोन नं0 –0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(14)209/2000–खण्ड–3–6859–6862,दिनांक, 29.10.18 शिमला–09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है :–

पंजीकृत :– 1. मन्दिर अधिकारी मन्दिर न्यास श्री हनुमान मन्दिर जाखू, तहसील शिमला, जिला शिमला को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजें।

2. अतिरिक्त मुख्य सचिव,(भाषा एवं संस्कृति विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2
3. उपायुक्त एवं आयुक्त मन्दिर न्यास श्री हनुमान मन्दिर जाखू, जिला शिमला (हि0प्र0)
4. निदेशक भाषा एवं संस्कृति विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला–171009.

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.श
फोन नं0 –0177–2620881

परिशिष्ट “क”

(पैरा संख्या:1(iv) में सन्दर्भित)

क्रम संख्यां	**पैरा संख्यां**	**टिप्पणी**
(क)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 8/84 से 3/97 तक		
वर्णित अवधि के अंकेक्षण प्रतिवेदन के सम्बन्ध में गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि यह अभी तक जारी नहीं किया गया, जिसे निरस्त किया गया है I		
(ख)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2000 से 12/2000 तक		
1.	**5**	निर्णित- लेट से जमा राशी पर जो ब्याज बनता था को मंदिर न्यास के खाता संख्या ICICI BANK A/C NO. 635301009043 दिनाक 25-05-18 मे जमा की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णित
2.	**9**	अनिर्णीत
3.	**10**	निर्णित- अधिक किये भुगतान की राशी की बसूली करके मंदिर न्यास के खाता संख्या ICICI BANK A/C NO. 635301009043 दिनाक 25-05-18 मे जमा की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णित
4.	**11**	निर्णीत- मंदिर न्यास द्वारा दिये उतर के आधार पर	
5.	**12**	अनिर्णीत
6.	**13**	निर्णीत- मंदिर न्यास द्वारा दिये उतर के आधार पर	
7.	**17**	निर्णित- अधिक किये भुगतान की राशी की बसूली करके मंदिर न्यास के खाता संख्या ICICI BANK A/C NO. 635301009043 दिनाक 25-05-18 मे जमा की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णित
8.	**18(1),(2),(3)(4)**	निर्णीत मंदिर न्यास द्वारा दिये उतर के आधार पर तथा अधिक किये भुगतान की राशी की बसूली करके मंदिर न्यास के खाता संख्या ICICI BANK A/C NO. 635301009043 दिनाक 25-05-18 मे जमा की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णित
9.	**19**	निर्णीत- मंदिर न्यास द्वारा दिये उतर के आधार पर	
10.	**20**	निर्णीत- मंदिर न्यास द्वारा दिये उतर के आधार पर	
11.	**21**	अनिर्णीत
12.	**22**	अनिर्णीत

(ग)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2001 से 12/2003 तक

1	6	अनिर्णीत
2	7	अनिर्णीत
3	10	अनिर्णीत
4	11	अनिर्णीत
5	12	अनिर्णीत
6	13	अनिर्णीत
7	14	अनिर्णीत
8	20	अनिर्णीत
9	21	अनिर्णीत
10	22	अनिर्णीत
11	23	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2004 से 12/2010 तक

1	5	निर्णीत (अंकेक्षण प्रतिवेदन मे इस पैरा को update करके settled दर्शाया गया था)
2	9	अनिर्णीत
3	10 (क) (ख)	अनिर्णीत
4	13(क) (ख) (ग)	अनिर्णीत
5	15	अनिर्णीत

(ड०)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2011 से 12/2012 तक

1	5(क)	अनिर्णीत
2	12	निर्णीत मंदिर न्यास द्वारा दिये उतर के आधार पर तथा विलम्ब से जमा की राशी पर ब्याज की ₹450/- बसूली करके मंदिर न्यास के खाता संख्या ICICI BANK A/C NO. 635301009043 दिनाक 25-05-18 मे जमा की पुष्टि उपरान्त पैरा निर्णित
3	13	अनिर्णीत
4	14	अनिर्णीत

5	15	अनिर्णीत
6	16	अनिर्णीत
7	18	अनिर्णीत

(च)अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/2013 से 12/2015 तक

1	3	निर्णीत (अभिलेखो की पुष्टि उपरांत पैरा निर्णित)
2	4(1)	निर्णीत (नवीनतम स्थिति बर्तमान अंकेक्षण के पैरा 4 मे वर्णित)
3	5(क) (ख) (ग)	अनिर्णीत
4	6	निर्णीत (नवीनतम स्थिति बर्तमान अंकेक्षण के पैरा 6 मे वर्णित)
5	7	निर्णीत (नवीनतम स्थिति बर्तमान अंकेक्षण के पैरा 7 मे वर्णित)
6	8(1) (II) (III)	निर्णीत (नवीनतम स्थिति बर्तमान अंकेक्षण के पैरा 8(1) से (III) मे वर्णित)
7	8(IV)	अनिर्णीत
8	9	अनिर्णीत
9	10	निर्णीत (नवीनतम स्थिति बर्तमान अंकेक्षण के पैरा 10 मे वर्णित)
10	11	अनिर्णीत
11	12	अनिर्णीत
12	13	निर्णीत (मंदिर न्यास द्वारा दिये उतर के आधार पर)
13	14	निर्णीत (मंदिर न्यास द्वारा दिये उतर के आधार पर)
14	15	निर्णीत (मंदिर न्यास द्वारा दिये उतर के आधार पर)
15	16	अनिर्णीत
16	17	अनिर्णीत
17	18	अनिर्णीत
18	19(1) से(4)	अनिर्णीत
19	20(1) से (4)	अनिर्णीत

20	21(1) से(2)	अनिर्णीत
21	22(1) से(2)	अनिर्णीत
22	23(1) से (4)	अनिर्णीत
23	24(1) से(3)	अनिर्णीत
24	25(1)	अनिर्णीत
25	26 (1)	अनिर्णीत
26	28(!) (II)	अनिर्णीत
27	29	अनिर्णीत
28	30	अनिर्णीत
30	31	निर्णीत (मंदिर न्यास द्वारा दिये उतर के आधार पर)
31	32	निर्णीत (मंदिर न्यास द्वारा दिये उतर के आधार पर)
32	33	अनिर्णीत
33	34	अनिर्णीत
34	35	अनिर्णीत

अनिर्णीत पैरों का विवरण

दिनांक 1.1.16 को अनिर्णीत पैरों का प्रारम्भिक शेष	69
(+) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	18
(–) वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे	21
दिनाँक 31.12.17 को अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	66